जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 14 / डी– 751 दिनांकः– 13/6/14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **105वीं बैठक दिनांकः 25.04.14 को अपरान्ह 04.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		105:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 व 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 व 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन होकर प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
2.	13ए	105:2	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 22 शिक्षकों को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर पूर्व में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान के 50000 से अधिक की आबादी के किसी भी शहर / कस्बे में स्वयं / पति / पत्नि / आश्रित के नाम से फ्री होल्ड / लीज होल्ड पर कोई भूखण्ड / भवन नहीं होने संबंधी व उक्त नियम के अन्तर्गत या अन्य नियमों / प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य के प्राधिकरण / नगर निगम / नगर विकास न्यास / नगर पालिका / रीको / राज.आवासन मण्डल अथवा किसी अन्य राजकीय / स्वायत्तशासी विभाग से कोई भूखण्ड आवंटन नहीं होने संबंधी शपथ पत्र लिया जाता था। एलपीसी की 99वीं बैठक दिनांक 12.09.13 में शिक्षकों के प्रकरणों में शिक्षा विभाग से भी अनुशंषा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत केवल पुरस्कार / पदक / साईटेशन की प्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति व शपथ पत्र में केवल नियम 17ए के अन्तर्गत राजस्थान में कहीं भी भूखण्ड आवंटन न होने का उल्लेख कराया जाना ही पर्याप्त है। शिक्षा विभाग की अनुशंषा प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः इस दिशा निर्देश के क्रम में निम्नांकित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर नॉन कार्नर भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा उपलब्ध नॉन कार्नर 200 वर्गमीटर के भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें। 1. श्री नारायण लाल कूलवाल 2. श्री ललित किशोर यादव 3. श्री बंशीधर सामोदा 4. श्री दिनेश कुमार शर्मा 5. श्री जगदीश प्रसाद चांवला 6. श्री राकेश कुमार लाटा 7. श्री योगेन्द्र सिंह चाहर

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JDA/LPC/2022 16-6-14

				8. श्री सीताराम जांगिड 9. श्रीमति श्यामा कंवर चौहान 10. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा 11. श्री गोपेश कुमार शर्मा 12. श्री रामबाबू ज्योति 13. श्री महेश गौतम 14. श्री प्रताप सिंह बुढानिया 15. श्रीमति शकुन्तला मालू 16. श्री सन्तोष कुमार जैन 17. श्रीमति सन्तोष नागपाल 18. श्रीमति वर्षा रानी 19. श्री रामगोपाल शर्मा 20. श्री मनोज कुमार दीक्षित 21. श्री मुरारी लाल शर्मा 22. श्रीमति निर्मला आर्य
3.	13ए	105:3	श्री अशोक कुमार शर्मा राष्ट्रीय पुररकार प्राप्त शिक्षक को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रस्ताव संख्या 105:2 के क्रम में श्री अशोक कुमार शर्मा को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	13ए	105:4	श्रीमति पुष्पा परिहार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रस्ताव संख्या 105:2 के क्रम में श्रीमति पुष्पा परिहार को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया।
5.	13ए	105:5	ग्राम–ईशरावाला, तहसील–आमेर के खसरा नं. 56/1 रकबा 6.14 है0 किस्म गैर मुमकिन चरागाह में से 0.25 है0 भूमि आँगनबाडी केन्द्र एवं सामुदायिक भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर विभिन्न प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन हेतु अधिकतम क्षेत्रफल तय किया गया। जिसका उल्लेख कार्यवाही विवरण के अन्तिम पैरा में वर्णित है। अतः उक्त मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुये विस्तृत प्रस्ताव मय नक्शे में आवंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को प्रदर्शित करते हुये रोड एप्रोच के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
6.	13ए	105:6	ग्राम–चौंप, तहसील–आमेर के खसरा नं. 1001/1 रकबा 2.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चरागाह में से 0.25 है0 भूमि आँगनबाडी केन्द्र एवं सामुदायिक भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	प्रस्ताव संख्या 105:5 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
7.	7	105:7	श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 11, स्वरूप कॉलोनी को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 51.87 वर्गगज भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह अवगत कराया है कि बढे हुये क्षेत्रफल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 11, स्वरूप कॉलोनी क्षेत्रफल 373.33 वर्गगज में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 51.87 वर्गगज बढे हुये क्षेत्रफल को राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	7	105:8	श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 11ए, स्वरूप कॉलोनी को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 51.87 वर्गगज भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह अवगत कराया है कि बढे हुये क्षेत्रफल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 11ए, स्वरूप कॉलोनी क्षेत्रफल 373.33 वर्गगज में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 51.87 वर्गगज बढे हुये क्षेत्रफल को राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				का निर्णय लिया गया।
9.	7	105:9	श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 13, स्वरूप कॉलोनी को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 52.44 वर्गगज भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह अवगत कराया है कि बढे हुये क्षेत्रफल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 13, स्वरूप कॉलोनी क्षेत्रफल 752.21 वर्गगज में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 52.44 वर्गगज बढे हुये क्षेत्रफल को राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	7	105:10	श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 14, स्वरूप कॉलोनी को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 73.34 वर्गगज भूमि का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में यह अवगत कराया है कि बढे हुये क्षेत्रफल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः श्री हेमचन्द जैन को भूखण्ड संख्या 14, स्वरूप कॉलोनी क्षेत्रफल 686.66 वर्गगज में स्ट्रीप ऑफ लैण्ड 73.34 वर्गगज बढे हुये क्षेत्रफल को राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
11.	9	105:11	श्री राम आदर्श विद्यालय समिति को महल योजना ए, बी, ब्लॉक में आवंटित 2182.10 व.मी. भूमि के बदले ग्राम रामचन्द्रपुरा के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 3311.27 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	श्री राम आदर्श विद्यालय समिति को महल योजना ए–बी ब्लॉक में 2182.10 वर्गमीटर भूमि आवंटन का निर्णय राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.04.08 द्वारा 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 25 प्रतिशत पर व 182.10 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर 4500/–रूपये प्र.व.मी. की दर पर करने का लिया गया। उक्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट पिटिशन संख्या 9379/09 जविप्रा बनाम जगदीश कुमार में दिनांक 21.04.11 से स्थायी स्थगन आदेश प्रभावी है। इस प्रकरण को मंत्रीमण्डलीय समिति के निर्णय दिनांक 23.06.09 के अनुसार आवंटन स्थगित किया गया था। उपायुक्त द्वारा उक्त भूमि के स्थान पर ग्राम रामचन्द्रपुरा में संस्थानिक भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 3311.27 वर्गमीटर आवंटन किया जाना प्रस्तावित किया है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार कर ग्राम रामचन्द्रपुरा में भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 3311.27 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व में आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
12.	13ए	105:12	श्री सतीश जोशी पुत्र श्री मालीराम जोशी अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्री सतीश जोशी पुत्र श्री मालीराम जोशी अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा राजभवन योजना के उपलब्ध नॉन कार्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें।
13.	13ए	105:13	श्री भागीरथ पुत्र श्री गंगारामजी कुडीया अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में कांस्य पदक	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्री भागीरथ पुत्र श्री गंगारामजी कुडीया अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।	एशियाई खेलों में कांस्य पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा राजभवन योजना के उपलब्ध नॉन कार्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें।
14.	13ए	105:14	श्रीमती सरीता देवी पत्नी शहीद सिपाही रामस्वरूप गुर्जर को उसके पति के कीर्ति चक्र धारी होने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) निराम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्रीमती सरीता देवी पत्नी शहीद सिपाही रामस्वरूप गुर्जर को उसके पति के कीर्ति चक्र धारी होने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा राजभवन योजना के उपलब्ध नॉन कार्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें।
15.	13ए	105:15	श्री बजरंग लाल ताखर अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्री बजरंग लाल ताखर अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा राजभवन योजना के उपलब्ध नॉन कार्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें।
16.	13ए	105:16	श्री गिर्राज सिंह अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्री गिर्राज सिंह अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा राजभवन योजना के उपलब्ध नॉन कार्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें।
17.	13ए	105:17	श्री शेखर सिंह यादव अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत श्री शेखर सिंह यादव अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता को एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड योजना की आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन–13ए द्वारा राजभवन योजना के उपलब्ध नॉन कार्नर 220 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जावें।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

18.	13ए	105:17(1)	श्री श्रीचन्द राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रस्ताव संख्या 105:2 के क्रम में श्री श्रीचन्द को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया।

बैठक में चर्चा के दौरान उपायुक्तों द्वारा यह बताया गया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में चरागाह भूमि के आवंटन के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ/राजकीय कार्यालयों/भवनों के कई प्रस्ताव लम्बित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपायुक्तों को यह निर्देशित किया गया कि जविप्रा रीजन में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान ऐसे समस्त लम्बित/निरस्त प्रकरणों पुनः एलपीसी के समक्ष प्रस्तुत किये जावे। प्रायः देखा गया है कि उपायुक्तों द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु भूमि का क्षेत्रफल अलग–अलग प्रस्तावित किया जाता है। अतः समरूपता की दृष्टि से सामान्यतः निम्न मापदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे। ऐसे प्रस्ताव भेजते समय सेक्टर रोड में आने वाली भूमि का प्रस्ताव नहीं दिया जावें। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय नक्शे में तरमीम करके प्रस्तावित क्षेत्र को प्रदर्शित किया जावे। यथा संभव क्षेत्र की प्लानिंग करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे।

	आवंटन का प्रयोजन	क्षेत्रफल (अधिकतम)
1.	ऑंगनबाडी केन्द्र	500 वर्गमीटर
2.	सामुदायिक केन्द्र/भवन	1500 वर्गमीटर
3.	श्मशान/कब्रिस्तान	2500 वर्गमीटर
4.	पटवार भवन/गिरदावर भवन	500 वर्गमीटर
5.	ग्राम पंचायत भवन	1000 वर्गमीटर
6.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय	2000 वर्गमीटर
7.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय	4000 वर्गमीटर
8.	उपस्वास्थ्य केन्द्र	500 वर्गमीटर
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2500 वर्गमीटर
10.	उपतहसील कार्यालय व निवास	1000 वर्गमीटर
11.	तहसील कार्यालय व निवास	2500 वर्गमीटर

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

नोटः–अध्यक्ष महोदया, जविप्रा, जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 105:7, 105:8, 105:9 व 105:10 के अतिरिक्त शेष प्रस्तावों के संबंध में कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया है। अतः उक्त चारों प्रस्तावों के अतिरिक्त शेष प्रस्तावों की निर्णयानुसार पालना की जावे।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी–द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए व 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 105वीं बैठक दिनांक 25.04.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री चन्द्र शेखर पाराशर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
5.	श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
6.	श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन—7	विशेष आमंत्रित
7.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन—9	विशेष आमंत्रित
8.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन—13ए	विशेष आमंत्रित
9.	श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित